न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या:13/2015 (जीसीएमएस नं. 2015/00114)

01. सीताराम,

02. रामरतन,

03. बाबूलाल, समस्त जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासीयान ग्राम बीलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

04. रामेश्वर पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम नृसिंहपुरा उर्फ दादिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

01. भौंरीलाल पुत्र श्री कजोड दत्तक पुत्र स्व. श्री घासी, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम नृसिंहपुरा उर्फ दादिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

02. राजस्थान सरकाकर जरिये तहसीलदार सांगोनर जिला जयपुर।

03. नारायण,

04. सूरज पुत्रान भूरा,

05. रामराय,

06. रामकिशोर पुत्रान सोहन उर्फ सोहनलाल,

07. कमला देवी,

08. भूरी उर्फ नन्छी,

09. विमला देवी,

10. शारदा पुत्रीयान सोहन उर्फ सोहनलाल, समस्त जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासीयान ग्राम दादिया उर्फ नृसिंहपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 12.10.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.2014 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम नृसिंहपुरा उर्फ दादिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी गत खसरा नम्बर 17/20 खसरा नम्बर 149 लगायत 153, खसरा नम्बर 209, 248, 249, 250/372, 250/373, 256, 258 में घासी पुत्र देवा 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार था, इसी प्रकार खाता संख्या 18/21 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 223, 241, 242 व 410/212 में घासी पुत्र देवा 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार था, तथा घासी की मृत्यु हो जाने पर उसकी एकमात्र पुत्री श्रीमती मांगी पुत्र घासी के नाम उसकी विरासत का नामान्तरकरण भरकर उसका नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार अंकित हो गया। उन्होने आगे कथन किया है कि इस भूमि के सम्बन्ध में भौंरीलाल पुत्र कजोड़ ने अपने आप को मृतक घासी का दत्तक पुत्र बताते हुए एक वाद उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर के समक्ष बाबत घोषणा एवं निषेधाज्ञा

P.T.O.

प्रस्तुत किया, उक्त वाद में उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर द्वारा दिनांक 23.04.2012 को डिक्री कर दी गई जिसके विरूद्ध अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में सीताराम वगै. द्वारा अपील संख्या 186/2012 व नारायण वगैर द्वारा अपील संख्या 233/2012 एवं रामेश्वर द्वारा अपील संख्या 384/2012 प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.03.2013 द्वारा उक्त सभी अपीलें खारिज कर दी गई जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष अपीलें हुई जिन्हे राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 22.07.2015 के द्वारा अपीलें खारिज कर दी गई जिसके विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर के समक्ष सिविल रिट क्रमांक 15356/2016 उनवानी रामेश्वर बनाम भौरीलाल एवं सिविल रिट क्रमांक 10140/2018 उनवानी सीताराम बनाम भौरीलाल प्रस्तुत की गई जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने उक्त दोनों रिट को अपनी आज्ञा दिनांक 22.07.2019 के द्वारा मंजूर कर दिया और साक्ष्य, राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 22.07.2015, दिनांक 06.03.2013 परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.04.2012 को निरस्त कर दिया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि भौरीलाल ने उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 23.04.2012 की अनुपालना में एक नामान्तरकरण संख्या 78 दिनांक 29.05.2012 को मांगी देवी पुत्री घासी के नाम के स्थान पर अपने नाम तस्दीक करा लिया जिसके विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर ने अपीलार्थी की अपील को इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया कि नामान्तरकरण संख्या 78 सक्षम न्यायालय की डिक्री की पालना में खोला गया है और नामान्तरकरण तस्दीक करने के दिन कोई स्थगन आदेश नही था। ऐसी दिशा मे नामान्तरकरण को गलत ठहराना सही नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि उपरोक्त अपील में मुख्य रूप से विचाराधीन बिन्दु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय की डिक्री दिनांक 23.04.2012 के आधार पर नामान्तरकरण को यथावत रखने का न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम का निर्णय विधि अनुकूल है या नही इस संदर्भ में है। उन्होने आगे कथन किया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.07.2019 के माध्यम से उक्त तीनों ही न्यायालयों की डिक्री को निरस्त किया जा चुका है, तो ऐसी दशा में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय के आदेश की अनुपालना में खोला गया नामान्तरकरण संख्या 78 कतई गलत है जिससे अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.12.2014 व नामान्तरकरण संख्या 78 दिनांक 29.05.2012 को निरस्त किया जाना ही न्याय संगत है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रकरण में विवाद घासी पुत्र देवा के सम्बन्ध में है तथा घासी की एकमात्र पुत्री मांगीदेवी थी और घासी की मृत्यु के बाद मांगीदेवी के हक में नामान्तरकरण दिनांक 03.01.1994 को नामान्तरकरण संख्या 4 तस्दीक हुआ जो सही था उक्त नामान्तरकरण के

P.T.O.

विरूद्ध प्रथम अपील अपर जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के यहॉ भौरीलाल द्वारा की गई उक्त अपील को दिनांक 11.07.1997 को अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा रिमाण्ड कर दिया गया जिस पर न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा दोनों पक्षों को सनने के पश्चात् विरासत के आधार पर मांगी पुत्री घासी के नाम से खोला गया नामान्तरकरण दिनांक 03.01.1994 को यथावत रख दिया गयाश उक्त फैसले के विरूद्ध भौरीलाल द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के न्यायालय में निर्णय दिनांक 04.08.1998 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 13.04.1999 को खारिज कर दी गई, उक्त फैसलों के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 16.02.2002 को खारिज कर दी गई तथा राजस्व मण्डल ने यह आदेश दिया कि जो वसीयत अपीलान्ट अपने पक्ष में बताता है उसे सक्षम सिविल न्यायालय से तय करवायें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्व मण्डल के निर्देशों की पालना में भौंरीलाल ने तथाकथित वसीयत दिनांक 10.08.1993 के सम्बन्ध में कोई दावा सिविल न्यायालय में प्रस्तत नही किया और उसने तथ्यों को छुपाकर एक दावा सहायक कलक्टर जयपुर के न्यायलाय में उक्त भूमि के सम्बन में करीबन 6 वर्ष पश्चात् प्रस्ततु कर दिया तथा उक्त न्यायालय ने बिना वसीयत को कानूनन साबित हुये बिना भौंरीलाल के पक्ष में निर्णय पारित कर दिया जबकि कानूनन यह सर्वमान्य नियम है कि राजस्व न्यायालयों को किसी अन–रजिस्टर्ड वसीयत को सिविल न्यायालय से साबित करवाऐ बिना वसीयत के आधार पर कोई भी फैसला करने का अधिकार नही होता है मगर सहायक जिलाधीश ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दिनांक 23.04.2012 को भौरीलालल के पक्ष में निर्णय पारित कर दिया तथा उक्त अवैध निर्णय के आधार पर बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त नामान्तरकरण भौंरीलाल के हक में खोल दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार सांगानेर ने नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व रिकार्डेड खातेदार मांगी पुत्री घासी एवं उसके वारिसान को कोई नोटिस नही दिया और बिना सूचना के नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया, नामान्तरकरण तस्दीक होने से पूर्व मांगी पुत्री घासी की मृत्य हो चुकी थी ऐसी दशा में तहसीलदार सांगानेर का निर्णय मृत व्यक्ति के विरूद्ध था और नलिटि था जिससे ऐसे निर्णय को यथावत रखने में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर ने विधिक त्रुटि तो की है और अपने अधिकार क्षेत्र का भी गलत इस्तेमाल किया है। उन्होने आगे कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 78 जिस आधार पर स्वीकार किया गया वह निर्णय व डिक्री राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.07.2019 के द्वारा निरस्त कर दी है ऐसी दशा में तथाकथित पारित डिक्री दिनांक 23.04.2012 का कोई अस्तित्व नही है और उसके आधार पर खुला नामान्तरकरण भी अब प्रभावहीन हो चुका है और निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.12.2014 एवं नामान्तरकरण संख्या 78 दिनांक 29.05.2012 तहसीलदार सांगानेर निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम उक्त नामान्तरकरण संख्या 78 दिनांक 29.05.2012 विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वितीय जयपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.04.2012 की अनुपालना में स्वीकार किया गया है जो सही व वैद्य है जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थीगण को कोई आपत्ति करने का अधिकार प्राप्त नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह तथ्य अंकित किये है कि उक्त नामान्तरकरण डिक्री की पालना में खोला गया है तथा नामान्तरकरण तस्दीक करने के दिन कोई स्थगन आदेश नही था तथा जिस निर्णय व डिक्री के आधार पर उक्त नामान्तरकरण खोंला है उसके सम्बन्ध मे सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत है ऐसी दशा में नियमित वाद के विचाराधीन रहते नामान्तरकरण का बदलना गैर कानूनी है। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय कानूनी प्रतिपादित सिद्धान्तों क अनुसार सही है जिसमे किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि व अनियमितता नही है जिससे अपीलार्थीगण की अपील इसी आधार पर खारिज होने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.07.2019 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने खण्डपीठ मे स्पेशल अपील रिट संख्या 1719/2019 उनवानी भौरीलाल बनाम रामेश्वर एवं 1746/2019 उनवानी भौरीलाल बनाम सीताराम प्रस्तुत कर रखी थी जिसमें न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय डी.बी. जयपुर बैंच ने दिनांक 25.08.2021 को पक्षकारान की बहस सुनते हुये राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय दिनांक 22.082019 को अपास्त करते हुये राजस्थान उच्च न्यायालय एकल पीठ को पुनः सुनवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है जिससे उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मामला वर्तमान में सबज्यूडिस है तथा इस आधार पर कानूनन अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय निरस्त नही किया जा सकता तथा अपीलार्थीगण की अपील इसी आधार पर निरस्त होने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि पक्षकारान के मध्य विभिन्न न्यायालयों में कई प्रकरण विचाराधीन चल रहे है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त अपील अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 10 ने आपस मे मिलीभगत कर प्रस्तुत की है जबकि उक्त भूमि से अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 10 का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है तथा कोई कब्जा भी नही है बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अंकित है जिससे अपीलार्थीगण की अपील कानूनन चलने योग्य नही है व इसी आधार पर खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि यह तथ्य निर्विवाद है कि मांगी खातेदार घासी की पुत्री है जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण मांगी पुत्री घासी के नाम पूर्व में स्वीकार किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं को घासी का दत्तक पुत्र जाहिर कर आ रहा जिन्होने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.04.2012 की अनुपालना में मांगी पुत्र घासी का सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण संख्या 78 के माध्यम से स्वीकार किया गया है चूँकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के निर्णय दिनांक 22.07.2019 के माध्यम से आदेश दिनांक 08.06.2016, 22.07.2015, 06.03.2013 एवं 23.04.2012 को निरस्त किया जा चुका है ऐसी स्थिति में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय के आदेश व डिक्री दिनांक 23.04.2012 की पालना में तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 78 बहाल रखे जाने का कोई औचित्य नही है। यद्यपि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ की डी.बी. के निर्णय दिनांक 25.08.2021 के माध्यम से एकल पीठ के निर्णय दिनांक 22.07.2019 को अपास्त कर प्रकरण एकल पीठ को रिमाण्ड किया गया है किन्तु उक्त वादग्रस्त आराजी के भविष्य में आगे बेचान की संभावानाओं को देखते हुए एवं मुकदमात की बाहूलता बढ़ने के तथ्य को मद्देनजर उक्त नामानतरकरण को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.2014 को एवं तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 78 वाके नृसिंहपुरा उर्फ दादिया पर पारित आदेश दिनांक 29.12.2012 को निरस्त किया जाता है तथा पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है। चूँकि प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष रिमाण्ड किया गया है ऐसी स्थिति में हस्तगत निर्णय एकल पीठ से होने वाले निर्णय के अध्यधीन रहेगा तथा एकल पीठ के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी के रहन, बेचान, दान, बख्शीश इत्यादि नही करने बाबत उभयपक्ष को पाबन्द भी किया जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर